Time Bound
Relates to Parliamentary Committee

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN : NEW DELHI

F.No.2(5)/2010-Law Dated the 12th February, 2010

To,

All Directors/Project Directors of the Institutes/National Research Centres/Bureaux/Project Directors of ICAR

Subject: **Forwardal of information sought by the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on court cases filed by the employees of the institutes/NRCs/PDs in last ten years, i.e., from 1.1.2000 to 31.12.2009 – reg.**

Sir,

I am to state that in a meeting of the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice held on 10th February, 2010, which was attended by the DG, ICAR, one of the members wanted to know particulars of court cases filed by the employees during the last 10 years. Since the information was not readily available, an assurance was given by the DG, ICAR that the same would be furnished shortly. Accordingly, it is requested that the information in the enclosed proforma, for the period 1.1.2000 to 31.12.2009, may be sent to the concerned DDGs latest by the 10th March 2010.

As this is an assurance to a Parliamentary Committee, it has to be dealt with on Top Priority.

Yours sincerely,

(RAJIV MEHRISHI)
Addl. Secretary, DARE & Secretary, ICAR

Copy to:

1. SPPS to Secretary, DARE & DG, ICAR
2. PPS to AS, DARE & Secretary, ICAR
3. PS to AS&FA, DARE
4. SA to Chairman, ASRB

5. All DDGs, with the request that they may examine the information reaches Hqrs. in time, that is, 15th March, 2010.
6. ND, NAIP
7. PD, DIPA
8. All Directors/Deputy Secretaries/Secretary, ASRB/Under Secretaries at ICAR Hqrs.
9. Shri Hans Raj, Information System Officer, (DIPA) KAB-I for putting in the ICAR Website.
10. All officers/sections at ICAR Hqrs./KAB I & II
11. Cdn. Section for giving Index Number

Details of the Court Cases filed by the employees from 1.1.2000 to 31.12.2009

Name of the Institute :- _____

Sl. No.	O.A. No. /year W.P. No. /year I.D. No. /year Appeal No. /year with date of filing	Name of Court/ Tribunal	Name of the party filing case	Issue involved/ subject matter	Outcome of first court/ tribunal with date of decision	Present status of the case

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

पत्र संख्या 2–1/2010–विधि

दिनांक 17 फरवरी, 2010

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के सभी संस्थानों /परियोजनाओं /राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र/ब्यूरो/परियोजना निदेशालयों के निदेशक

विषयः भूमि रिकार्ड का रखरखाव– के संबंध में ।

महोदय,

यह पाया गया है कि कुछ संस्थानों में भूमि रिकार्ड एवं उससे संबंधित मामलों के रख रखाव पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भूमि रिकार्ड के रखरखाव के मानकीकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी संस्थानों में भूमि से संबंधित रिकार्ड/दस्तावेजों, पत्राचारों तथा लेन–देन के ज्ञापनों के साथ–साथ एक संपूर्ण भूमि पंजिका (डॉजियर) का रखरखाव किया जाए। भूमि पंजिका से इस बात का पता लग सकेगा कि भूमि का अधिग्रहण सीधी खरीद द्वारा किया गया है या इसे उपहार या लीज द्वारा प्राप्त किया गया है और क्या इस खरीद को राज्य भू–लेख दस्तावेजों में विधिवत दर्ज कराया गया है। भूमि–पंजिका में भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद (लिटिगेशन) की स्थिति में उसका भी उल्लेख होगा। किसी जारी वाद की स्थिति में समय–समय पर हो रही प्रगति को भी एक निश्चित समयावधि में इस पंजिका में अद्यतन किया जाएगा। यह अनुरोध है कि सभी संस्थान इस प्रकार की पंजिका (डोजियर) को यथाशीघ्र तैयार करें। इस पंजिका की एक प्रति परिषद मुख्यालय में संबंधित उपमहानिदेशक को भेजी जाय ताकि वस्तु विषय प्रभाग में उसका रिकार्ड रखा जा सके।

2. लीज–डीड (विलेख पटटा) के नवीनीकरण में कुछ संस्थानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा भूमि की 'वर्तमान वास्तविक मूल्य' के भुगतान में छूट प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे संस्थान जो 'वन भूमि' पर स्थापित हैं (मूल लीज डीड से संबंधित अभिलेखों के प्रमाण सहित) से अनुरोध है कि वे 'वर्तमान वास्तविक मूल्य' के भुगतान में छूट प्राप्त करने हेतु तकनीकी औचित्य के साथ साथ वन भूमि से संबंधित विवरणों के बारे में सूचना अपने विषय वस्तु प्रभाग को दें ताकि छूट प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से संपर्क स्थापित करने हेतु एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया जा सके। इसे 15 अप्रैल, 2010 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। ऐसे संस्थान जिनकी पास किसी भी प्रकार की वन भूमि नहीं है, वे संबंधित एसएमडी को 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3. सभी निदेशकों से यह अपेक्षा है कि वे भूमि–पंजिका के उचित रखरखाव के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए इससे संबंधित मुद्दों का प्रभावी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(राजीव महर्षि)
अपर सचिव, डेयर तथा सचिव, भा.कृ.अनु.प.

प्रतिलिपि:

1. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. अपर सचिव, डेयर तथा सचिव, भा.कृ.अनु.प. के प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव, डेयर एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
4. अध्यक्ष, ए एस आर बी के विशेष सहायक
5. सभी उपमहानिदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। संस्थानों से प्राप्त सूचना की छानबीन करें, यदि सूचनाओं में कोई अंतराल है तो उसे पूरा किया जाए। प्रत्येक विषय वस्तु विभाग से संबंधित समेकित प्रस्ताव विधि अनुभाग को 15 मई, 2010 तक अग्रेषित किया जाए।
6. राष्ट्रीय प्राध्यापक, एन ए आई पी
7. परियोजना निदेशक, दीपा
8. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के सभी निदेशक/उप सचिव/ सचिव, ए एस आर बी/ अवर सचिव।
9. श्री हंस राज, सूचना प्रणाली अधिकारी (दीपा), कृषि अनुसंधान भवन–1 को भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट पर लोड करने हेतु
10. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय, कृषि अनुसंधान भवन–। एवं 2 के सभी अधिकारी/ अनुभाग
11. समन्वय अनुभाग को इंडेक्स नम्बर प्रविष्ट करने हेतु